Statement

District-wise Aggregate Deposit and Gross Bank Credit of All Scheduled Commercial Banks In Rural Areas of Punjab as on Last Friday of March 1996.

District	Deposit (Rs. '000)	Advance
Patiala	2387620	1457840
Sangrur	1740175	1447175
Bathinda	992708	795385
Ferozpur	1443817	1221520
Amritsar	4974993	1543729
Gurdaspur	3118967	837388
Kapurthlla	2753203	577163
Mansa	553960	610473
Fatehgarh Sahib	908303	627500
Jalandhar	12714775	1563613
Ludhiana	6414455	9468969
Hoshiarpur	7001072	759292
Rupnagar	2447758	578513
Faridkot	2473597	1335975

स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर में तुलन-पत्र तैयार करने की प्रक्रिया

1707. **श्री शिव चरण सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि स्टेट बैंक आफ इन्दौर के प्रबधंक ऋण-खाते की राशि में निष्क्रिय खाते की राशि को जोड़कर तुलन-पत्र तैयार करने हैं,

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार बैंक की सही स्थिति का पता लगाने के लिये किसी निष्पक्ष एजेंसी को इसकी जांच करने के लिए अनुदेश देगी; और

(ग) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं तो इसके क्या कारण है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार) : स्टेट बैंक आफ इन्दौर ने सूचित किया है कि उनका तुलनपत्र भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई) मार्गदर्शनों/अनुदेशों के अनुसार तैयार किया गया है । बैंकों की लेखा बहिया (शाखाओं सहित) भारतीय स्टेट बैंक द्वारा नियुक्त किए गए सांविधिक लेखा-परीक्षकों द्वारा विधिवत जांची व प्रमाणित की जाती है । ऋणों और अग्रिमों में बैंक की बही-खातों में बकाया सभी ऋण और अग्रिम होते हैं और इसलिए इनमें अनुपयोज्य ऋण भी शामिल होंगे । तुलन-पत्र तैयार करते समय, अनुपयोज्य आस्तियों के लिए प्रावधान कुल ऋणों और अग्रिमों में से कम कर दिया जाता है । बैंक अनुपयोज्य आस्तियों के लिए भी प्रावधान करता है और इसके लिए अलग से लेखा-जोखा रखता है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

Non-Lending of Money by Nationalised Banks

1708. SHRIMATI JAYANTI PATNAIK: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that some nationalised banks are not able to lend money despite the fact that they are having excess fund;

(b) if so, whether this is affecting the viability of banking system;

(c) whether Government propose to